ई–मेल/स्पीड पोस्ट से

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 670–675
भोपाल, दिनांक 02/09/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/711/2017

आवेदकः–
M/s Pragya Engineering Pvt. Ltd.,
110,Modi Tower,
M.T.H. Compound,
Indore 462 001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–

1. M/s Sharada Solvent Ltd.,
   1A, 5th Floor, D.B. City, Corporate Park,
   Arera Hills, Opp. M.P. Nagar, Zone- 1,
   Bhopal – 462 004
2. M/s Sharada Solvent Ltd.,
   E1/79, Arera Colony,
   Bhopal - 462016
3. M/s Sharada Solvent Ltd.,
   Village - Banskhedi, Court Road,
   Shivpuri- 473551 (M.P.)
4. M/s Sharada Solvent Ltd.,
   Village Mundla, Tehsil- Digod,
   Distt. Kota – 325 001 (Rajasthan)
5. M/s Sharada Solvent Ltd.,
   Village- Kachnaria, Narsinggarh Road,
   Biora, Distt. Rajgarh - 465 661 (M.P.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 02-09-.2020

आवेदक ने दिनांक 17.08.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, उपरोक्त अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 5,63,275/– एवं दिनांक 30.06.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 24,02,061/– कुल बकाया राशि रू. 29,65,336/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

1. अनावेदक द्वारा सोयाबीन प्लांट के लिये मशीनो के प्रदाय हेतु आवेदक को दिनांक 25.11.2008 से दिनांक 16.09.2009 तक 9 प्रदाय आदेश जारी किये गये, जिनके अनुक्रम में आवेदक द्वारा अनावेदक को दिनांक 02.12.2008 से दिनांक 21.11.2009 तक, 12 इन्वाईसेस के माध्यम से कुल राशि रू. 31,15,472/– की मशीनों का प्रदाय अनावेदक द्वारा बताये गये प्लांट की साईड पर किया गया।
2. आवेदक का कथन है कि उत्पाद में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। अतः क्रेता द्वारा प्रदायित सामग्री/सेवा के विरुद्ध कोई आपत्ति/शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है। उत्पाद में कोई

.....2

दोष नहीं था, इसीलिए अनावेदक ने लगभग 85 प्रतिशत भुगतान भी आवेदक को कर दिया था।

3 अनावेदक को राशी रूपये 31,15,472/– की मशीनरी आदेश अनुसार सप्लाई कर दी गयी जिसमें से अनावेदक द्वारा विभिन्न चरणों में दिया गया अग्रिम भुगतान रूपये 6,67,417/– घटाने के बाद शेष राशी रूपये 24,48,055/– का भुगतान अनावेदक को माल मिलने के तुरंत बाद करना था किन्तु अनावेदक ने माल मिलने के बाद शेष राशी रूपये 24,48,055/– में से अनावेदक द्वारा विभिन्न चरणों में कुल राशि रूपये 18,84,780/– का ही भुगतान किया गया है। इस भुगतान के प्राप्त होने के बाद राशी रूपये 5,63,275/– अनावेदक पर शेष है।

4. अतः आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया मूलधन राशी रूपये 5,63,275/– (रूपये पांच लाख तिरसठ हजार दौ सौ पचहत्तर मात्र) एवं माह जून 2016 तक की ब्याज राशी रूपये 24,02,061/– (रूपये चौबीस लाख दौ हजार इकसठ मात्र), कुल राशी रूपये रूपये 29,65,336/– (रूपये उनतीस लाख पैसठ हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) एवं इस राशी के साथ भुगतान दिनांक तक का ब्याज दिलवाने हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2016 को प्रस्तुत किया गया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1698–1703 दिनांक 16.01.2017, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, एवं दिनांक 25.08.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचनी पत्र/ई–मेल जारी किये गये।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को आवेदक श्री एल. सी. तोलानी, एवं अनावेदक की ओर से एडवोकेट श्री पराग गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

अनावेदक के अधिवक्ता ने परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध दावा आवेदन प्रस्तुत करने पर आपत्ति ली।

आवेदक इस बात पर परिषद को समाधानकारक उत्तर नही दे सके कि वर्ष 2008–09 कि वर्ष 2008–09 मे किए गए सप्लाई के विरूद्ध काउन्सिल के समक्ष दावा प्रस्तुत करने में लगभग आठ वर्ष (वर्ष 2016 में) का समय क्यों लिया गया?

अतः दावा प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब के कारण प्रकरण को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद का विषय वित्तिय वर्ष 2008–09 मे किए गए सप्लाय का है। आवेदक इस बात पर परिषद को समाधानकारक उत्तर नही दे सके कि वर्ष 2008–09 कि वर्ष 2008–09 मे किए गए सप्लाई के विरूद्ध काउन्सिल के समक्ष दावा प्रस्तुत करने में लगभग आठ वर्ष (वर्ष 2016 में) का समय क्यों लिया गया?

21/9/20

.....3

अतः दावा प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब के कारण, आवेदक M/s Pragya Engineering Pvt. Ltd.,110,Modi Tower, M.T.H. Compound, Indore (M.P.) द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2016 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(सी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।